

07.04.17

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी कमलेश जेल से पेश। आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री बी०एस०यादव उपस्थित।

प्रकरण कमिटल तर्क हेतु नियत है। कमिटल तर्क श्रवण किये गये।

आरक्षी केन्द्र मालनपुर द्वारा अपराध क्र 02/17 अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं के अधीन अभियोग पत्र आरोपी कमलेश जाटव पुत्र लालसिंह जाटव उम्र 40 साल निवासी ग्राम पीपरी थाना बरोही हाल पुरानी बस्ती मालनपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भा.द.सं के विचारण के पर्याप्त तथ्य विद्यमान है जो अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। अतः धारा 209 द.प्र.सं के अधीन प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड में उपार्पित किया जाता है।

धारा 207 द.प्र.सं का पालन किया जा चुका है।

प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अतः जेलर को निर्देशित किया गया कि आरोपी को दिनांक **18.04.17** को न्यायालय श्री मोहम्मद अजहर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित रखे।

जप्तशुदा सामग्री एफ.एस.एल. भेजी गयी है अतः प्राप्त होने पर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर मालखाना को निर्देशित किया गया।

उपार्पण की सूचना नायब नाजिर मालखाना, जिला लोक अभियोजन अधिकारी भिण्ड एवं थाना प्रभारी मालनपुर को प्रेषित की जावे।

प्रपत्र माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित किया जावे।

सही/—

(गोपेश गर्ग)

जे.एम.एफ.सी., गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)